रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 54] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 56(अ).—जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 30 की उप-धारा (i) द्वारा यथापेक्षित न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 को अन्य नियमों के साथ पुनः संशोधित करने के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में कतिपय नियमों का प्रारुप प्रकाशित कर दिया गया था और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अन्तर्गत इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 23 अप्रैल, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियमों के प्रारुप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

इसलिए, केन्द्रीय सरकार अब उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 में,-

(क) नियम 21 में उप-नियम (4क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा,

'(4क) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा इससे पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्रपत्र–III में एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परन्तु यह है कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षक इलैक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रॉनिक रूप" 'शब्द का अर्थ वही होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।'

(ख) प्रारूप 3 में "नियम 21 (4क) (1)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "नियम 21 (4क)"शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं. जेड-20025/22/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 776 तारीख 14 अक्टूबर, 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) तारीख 12 मार्च, 2015 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 56 (E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, among other rules, were published as required by sub-section (1) of section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, namely:-

1. (1) These rules may be called the Minimum Wages (Central) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Wages (Central) Rules, 1950,-

(a) in rule 21, for sub-rule (4A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

'(4A) Every employer shall, on or before the 1st day of February in each year, upload unified annual return in Form III on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).';

(b) in Form III, for the word, figures, brackets and letter "Rule 21(4A)(1)", the word, figures, brackets and letter "Rule 21(4A)" shall be substituted.

[No. Z-20025/22/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Minimum Wages (Central) Rules, 1950 was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 776, dated the 14th October, 1950 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 182(E) dated the 12th March, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.31 10:25:23 +05'30'